GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

ई–मेल
सेवा में,

राज्य के सभी,
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
यादी क्रमांक KW 16/2-2023 GS (3)
दिनांक पंचकुला 14/1/25

विषय :– **शैक्षणिक वर्ष 2024–25 (1st Half (April 2024 to September 2024) में विद्यालयों में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सैक्शन 12(1) (सी) के प्रावधान अनुसार दाखिल विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति करने बारे।**

****

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में आपको हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सैक्शन 12(1) (सी) के प्रावधान अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024–25 के दौरान मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयो में दाखिल/प्रमोट हुए छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति हेतू ऑनलाईन पोर्टल तैयार किया गया है जिन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयो में उपरोक्त नियम के तहत छात्रो के दाखिले किये गये थे वे विद्यालय दिनांक 14.01.2025 से विभागीय वैबसाईट http://harprathmik.gov.in पर दिए गए लिंक **"ONLINE APPLICATION FOR CLAIMING REIMBURSEMENT OF GRANT FOR THE SESSION 2024-25 UNDER RTE-2009 SECTION (12) (1) (C) (ARREAR)"** पर अपना आवेदन कर सकते है, सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा आवेदन करने की अन्तिम तिथि 23.01.2025 रखी गई है।

1. उक्त लिंक पर स्कूल अपने MIS User Name, पासवर्ड से लॉग इन करेंगे।पोर्टल पर लॉगइन यूजरनेम एवम् पासवर्ड मैच करने उपरान्त स्कूल के रजिस्टर्ड मोबाईल न0 पर OTP प्राप्त होगा। यदि आपका यूजरनेम/पासवर्ड काम नही कर रहा है, तो उसे एमआईएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाईल न0 के माध्यम से "**फारगेट पासवर्ड**" विकल्प का इस्तेमाल करके रिसेट करे और यदि आपका रजिस्टर्ड मोबाईल न0 बदल गया है या मोबाईल न0 एमआईएस पोर्टल पर मौजूद नहीं है, तो नए एमआईएस पासवर्ड या मोबाईल न0 अपडेशन के लिए अपने जिले के DEO/DEEO से सम्पर्क करे।
2. स्कूलप्रबन्धक/प्राचार्य अपनी सुविधा या आवश्यकता अनुसार अंतिम तिथि दिनांक 23.01.2025 तक छात्रों का विवरण दर्ज करते समय आवश्यक सुधार कर सकते है।
3. स्कूल प्रबन्धक/प्राचार्य केवल उन्ही छात्रों का विवरण पोर्टल पर दर्ज करेंगे, जिनकी फीस प्रतिपूर्ति राशि उन्हें विभाग से प्राप्त नही हुई है।
   (यदि किसी स्कूल द्वारा फीस प्रति पूर्ति हेतू ऐसे छात्रों का डाटा पुनः अपलोड किया जाता है जिनकी क्लेम राशि वह पहले ही विभाग से प्राप्त कर चुका है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार स्कूल के विरुद्व कार्यवाही अमल में लाई जाएगी)।
4. अंतिम तिथि 23.01.2025 के पश्चात किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय का क्लेम स्वीकार नही किया जाएगा।
5. स्कूल प्रबन्धक/प्राचार्य कक्षा 1, 2 व 3 में प्रोमोट हुऐ केवल उन्ही छात्रो का विवरण पोर्टल पर दर्ज करेंगें जिनका दाखिला उन द्वारा कक्षा प्राईमरी या प्री–प्राईमरी में किया गया है।
6. आप द्वारा अपने जिले से सम्बन्धित मान्यता प्राप्त निजि विद्यालयो को उक्त बारे तुरन्त अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
7. पोर्टल में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए **MIS Helpline 0172-5049801** पर भी संपर्क किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि **इस बारे अपने जिले के सम्बन्धित सभी प्राईवेट विद्यालयों को यह पत्र भेजकर उक्त लिंक पर शैक्षणिक वर्ष 2024–25 (1st Half (April 2024 to September 2024) में विद्यालयों में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सैक्शन 12(1) (सी) के प्रावधान अनुसार कुल दाखिल विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति हेतू आवेदन करने बारे प्रोत्साहित करें।**

कृप्या इसे उच्च प्राथमिकता दें।

VBerwal 14/1/25
ए0आर0ओ0–कम–उप–अधीक्षक
सरकारी स्कूल (नॉन सिविल)
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक –सम– दिनांक पंचकूला

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ हेतू प्रेषित की जाती है :–

1. संयुक्त निदेशक, आई0टी0 सैल (लोकल) से अनुरोध है कि पोर्टल दिनांक 14.01.2025 से 23.01.2025 तक ओपन कर दिया जाये एवं विभाग की साईट पर भी अपलोड कर दिया जाये।

–Sd–
ए0आर0ओ0–कम–उप–अधीक्षक
सरकारी स्कूल (नॉन सिविल)
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।